न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 480 / 481 / 2006 / झालावाड

बक्शू पुत्र गोपाल, जाति बागरी, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा (मृतक) कायम मुकामान

1. कमली बेवा बक्शू, जाति बागरी, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड।
2. बाबूलाल वल्द बक्शू जाति बागरी, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड।
3. कन्हैयालाल वल्द बक्शू, जाति बागरी, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड।
4. हजारीलाल नाबालिग
5. घनश्याम नाबालिग
6. रमेश नाबालिग
7. गुड्डी नाबालिग
8. लक्ष्मण नाबालिग
9. संजू नाबालिग

पिसरान बक्शू अकवाम बागरी नाबालिगान जरिये वलिया संरक्षक एवं नेक्स्ट फ्रेण्ड माता स्वयं कमली बाई बेवा बक्शू जाति मोग्या बागरी निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड।

.....अपीलांट्स

बनाम्

1. मथुरी बाई बेवा मोतीराम जाति जाटव निवासी अकलेरा हाल निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू, जिला बांरा (मृतक) कायम मुकाम (रिकार्ड पर प्रतिवादी सं.2, 3, 4 है)

2. जानकी बाई बेवा धनीराम, जाति जाटव,, निवासी गुना, तहसील गुना, जिला गुना मध्यप्रदेश।

3. गायत्री पुत्री धनीराम, जाति जाटव, नाबालिग जर्ये वलिया माता स्वयं जानकी बाई।

4. किरण पुत्री धनीराम, जाति जाटव नाबालिग जर्ये वलिया माता स्वय जानकी बाई बेवा धनीराम अकवाम जाटव, निवासी गुना, तहसील गुना मध्यप्रदेश।

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा एवं उपपंजीयक अधिकारी, अकलेरा।

..... रेस्पोडेंट्स

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :–

श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
अधिवक्ता रेस्पोडेंट बार बार आवाज लगाने पर भी अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः– 25.09.2025**

1– ये दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील सं. 89/04 व 45/04 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि, विवाद का बिन्दु और पक्षकारान समान है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय से किया है अतः हमारे द्वारा भी इन दोनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के न्यायालय में विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गूंजरी तहसील अकलेरा के माल की प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता धनीराम के शामलाती खाते में खतौनी संख्या 35 की खसरा नम्बर नम्बर 21 की 8 बीघा 18 बिस्वा आराजी स्थित है। वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 मथुरी बाई व प्रतिवादी संख्या 2 के पति व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता धनीराम के द्वारा खसरा नम्बर 21 की 8 बीघा 18 बिस्वा आराजी वादी को दिनांक 30.11.83 को 7800/– रूपये में बेचान कर तहरीर लिख दी थी जिस पर मथुरी बाई व धनीराम के व गवाही गवाहान के हस्ताक्षर तथा 3000/– रूपये के नोट प्राप्त कर लिये थे तथा शेष 4800/– रूपये दिनांक 7.5.84 को प्राप्त कर लिये थे तथा वादी ने वक्त बेचान दिनांक 30.11.83 को खातेदारान से कब्जा आराजी प्राप्त कर लिया था। वादी का उक्त आराजी पर 12 वर्षो से

कब्जा चला आ रहा है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है तथा प्रतिवादीगण के धारा 62 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकारी स्वतः ही समाप्त हो गए है। धनीराम फौत हो चुके है जिसमें कायम मुकामान पत्नि जानकी बाई व लडकियां गायत्री, किरण है। वादी ही काश्त कर फसल का लाभ वक्त खरीद दिनांक 30.11.83 से उठाता चला आ रहा है। वादी ने दिनांक 4.12. 95 को प्रतिवादीगण से आराजी मुतनाजा अपने खाते दर्ज कराने को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार किये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीगण उक्त आराजी का बेचान अन्य व्यक्ति को कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाना चाहते है, जबकि कब्जा वादी का चला आ रहा है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वर्णित आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वर्णित आराजी का बेचान अन्य किसी व्यक्ति को नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 5 को पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे न ही रजिस्ट्री तस्दीक करे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 4.9.2001 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिसमें वाद की मद नम्बर 1 स्वीकार है, मद नम्बर 2 अस्वीकार है, मद नम्बर 3 कानूनी है, मद नम्बर 4, 5, 6 अस्वीकार है, मद नम्बर 7 व 8 स्वीकार है। दादरसी अस्वीकार है तथा विशेष आपत्तियों में व्यक्त किया कि प्रतिवादनी मथुरा बाई है, जो फौत हो चुकी है। जिसका कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 2 है प्रतिवादिनी अनुसूचित जाति की है। दिनांक 30.11.83 के बेचान को लेकर वादी अपना वाद लेकर आये हैं जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वादी अन्य पिछड़ी जाति का सदस्य है। उस अवैधानिक बेचान के आधार पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और ना कब्जा मुखालफाना का लाभ दिया जा सकता है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 61 समझने में कानूनी भूल की है। वर्णित आराजी प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति हे। प्रतिवादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण अतिक्रमी हैं गायत्री बाई व नीरज नाबालिग है वादीगण ने वाद प्रस्तुत करते समय आदेश 32 नियम 3 जाप्ता दीवानी के समस्त आज्ञात्मक प्रावधानों का पालन न कर यह वाद पेश किया जो काबिल निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम द्वारा इस्तदुआ करते है कि ग्राम अकलेरा की वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादीगण को दिया

जावे। अतः वाद वादी खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण का जवाब काउंटर क्लेम डिक्री किया जावे तथा कब्जा आराजी प्रतिवादीगण को दिलाया जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट प्रतिवादी की तरफ से धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जिसको विचारण न्यायालय ने मूल वाद के संलग्न कर लिया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने निर्णय दिनांक 19–3–2004 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष दो अपीले प्रस्तुत की गई। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपील सं. 89/04 अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 द्वारा खारिज कर दी तथा अपील सं. 45/04 आंशिक रूपसे स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–3–04 को निरस्त कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ रिमाण्ड कर दिया। जिससे व्यथित होकर ये दोनों द्वितीय अपीलें राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्वयं काउन्टर क्लेम में यह कथन किया गया है कि उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है जबकि कब अपीलांट्स को बेदखल किया गया और किस दिवस को अपीलांट्स से कब्जा लिया गया, यह स्पष्ट नहीं है। बिना कोज ऑफ एक्शन के अभाव में काउन्टर क्लेम पोषनीय नहीं था। जिसे सही रूप से तहत न्यायालय ने निरस्त किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने इग्नोर करने की कानूनी भूल की है इसलिए पारित किया गया निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि जब सम्पूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध थी तो उन्हें बजाय प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के, निर्णय पारित करना चाहिए। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों में उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अपीलांट जाति से बागरी हैं एवं रेस्पोडेन्ट जाति से जाटव है और उक्त दोनों ही पक्षकारान की जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। इस कारण से उक्त बेचान में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का उल्लघंन नही हुआ है और अपीलांट्स उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। विवादित आराजी बाबत् मथुरी बाई एवं

रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के पिता धनीराम के द्वारा बक्शू पुत्र गोपाल जाति बागरी निवासी अकलेरा को दिनांक 30.11.83 को रूपये 7800/– रूपये अक्षेर सात हजार आठ सौ रूपये में बेचान करके तहरीर लिखा दी थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपना पक्ष पूर्ण रूपेण प्रमाणित कर दिया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर तनकी नम्बर 1 लगायत 6 अपीलांट्स के विरूद्ध एवं तनकी नम्बर 7 व 8 अपीलांट के पक्ष में निर्णित न करके कानूनी भूल की है, अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे ।

4– अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के न्यायालय में विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेंट प्रतिवादी की तरफ से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम तथा धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जिसको विचारण न्यायालय ने मूल वाद के संलग्न कर लिया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने निर्णय दिनांक 19–3–2004 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष दो अपीले प्रस्तुत की गई। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपील सं. 89/04 अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 द्वारा खारिज कर दी तथा अपील सं. 45/04 आंशिक रूपसे स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–3–04 को निरस्त कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ रिमाण्ड कर दिया। जिससे व्यथित होकर ये दोनों द्वितीय अपीलें राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थी का वाद विवादित आराजी पर 12 वर्ष से निरंतर कब्जा साबित नहीं होने, सादा कागज पर विक्रय तहरीर लिखी होने तथा दोनों बेचान प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 अपंजीकृत दस्तावेज होनेके के आधार पर खारिज किया है। प्रतिवादी का काउंटर क्लेम दोनो पक्ष अनसूचित जाति के सदस्य होने तथा काउंटर क्लेम में कॉज ऑफ एक्शन नहीं दर्शा पाने की स्थिति में निर्णय दिनांक 19–3–04 द्वारा खारिज किया

है। अपीलीय न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह निष्कर्ष अंकित किया कि अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत दावे, जवाब दावे तथा धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने अनुतोष सहित 9 तनकियात कायम की गई, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं का समावेश किया गया तथा परीक्षण न्यायालय में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड तथा दस्तावेजात एवं गवाहान के बयानों का उल्लेख करते हुए तनकीवाईज विवेचन किया है जिसके तहत तनकी नं1 एवं 2 में अपीलांट /वादीगण द्वारा किये गये क्रय को भी अवैध एवं प्रभाव शून्य माना है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को भी तथा धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र को कॉज ऑफ एक्शन की दिनांक अंकित नहीं करने के आधार पर खारिज किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने उचित नहीं माना। क्योंकि रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत 183 बी के प्रार्थना पत्र में कॉज ऑफ एक्सन दर्शाया है, जिसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 10 वर्ष पूर्व भूमि पाँति पर दिये जाने तथा पांति देने से अब मना करने तथा कब्जा नहीं छोड़ने का तथ्य लिखा था, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया। इसी प्रकार तनकी नं. 3 व 4 के विवेचन में भी परीक्षण न्यायालय ने विवादित भूमि पर मुखालफाना कब्जा नहीं माना है, परन्तु रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम, धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र को भी कॉज जॉफ एक्सन नहीं दर्शाने के आधार पर खारिज करने के विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को समर्थन नहीं दिया। यद्यपि परीक्षण न्यायालय ने तनकी नं. 5 का निर्णय उनके समक्ष प्रस्तुत हुये राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात के आधार पर सही पारित किया है, परन्तु काउंटर क्लेम तथा धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र का निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी नं.6 के विवेचन एवं निर्णय को सही माना है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी नं. 7 के विवेचन में अपीलार्थी/वादीगण को विवादित भूमि का अतिक्रमी नहीं माना है तथा न ही काउंटर क्लेम में कोई वाद कारण उत्पन्न होना माना है तथा उक्त आधार पर उक्त तनकी का निर्णय अपीलांट एवं रेस्पोडेंट दोनों के विरुद्ध किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने उचित नहीं माना। क्योंकि यदि अपीलार्थी/वादीगण विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं है तो उनका विवादित भूमि पर कब्जा किस हैसियत से रहेगा। इसके विषय में परीक्षण न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी नं. 8 के विवेचन में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल होना नहीं

माना है, परन्तु जब विवादित भूमि पर अपीलार्थी/वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं तथा अपीलांट प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम या बेदखली का प्रार्थना पत्र भी मेंटेनेबल नहीं है तो विवादित भूमि के स्वामित्व के विषय में क्या स्थिति रहेगी? इस विषय में परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में कोई अभिमत या निर्णय नहीं दिया, बल्कि दावा तथा काउंटर क्लेम दोनों ही खारिज कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने उचित नहीं माना। परीक्षण न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन के आधार पर अपीलार्थी/वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य नहीं मानते हुये अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को पोषणीय नहीं माना है। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करते वक्त इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि जब खातेदार द्वारा अपनी भूमि का विक्रय जरिये अपंजीकृत दस्तावेज अपीलार्थी/वादीगण को कर दिया गया था तथा विवादित भूमि पर कब्जा भी उभय पक्षकार एवं गवाहान अपीलार्थी/वादीगण का होना स्वीकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट का बतौर खातेदार दर्ज रहने का क्या प्रभाव पडेगा। यदि अपीलार्थी के पक्ष में हुआ विक्रय अवैध एवं प्रभाव शून्य है तथा खातेदार द्वारा भूमि का विक्रय कर दिया गया है तथा खातेदार पुनः कब्जा प्राप्त कर सकने के अधिकारी नहीं हैं तो क्या राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज रह सकते हैं अथवा विवादित भूमि नियमानुसार सिवाय चक दर्ज होनी चाहिए । चूंकि रेस्पोडेंट ने तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत 183 बी के प्रार्थना पत्र में कॉज ऑफ एक्शन लिखा है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय गुणावगुण पर होना आवश्यक है तथा इसके निर्णय के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा दावे के जवाब दावे में प्रस्तुत काउंटर क्लेम का निर्णय होना उचित है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेंट प्रतिवादी के काउंटर क्लेम में विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की स्थिति तथा स्वामित्व के विषय में निर्धारण किये जाने तथा परीक्षण न्यायालय को पहले रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र तथा काउंटर क्लेम का पुनः गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया है तथा परीक्षण न्यायालय, यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रेस्पोडेंट/ प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तो विवादित भूमि को नियमानुसार सिवाय चक दर्ज किये जाने के विषय में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है। अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत विवेचन व विलेषण करते हुये निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है।

6— इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि योग्य अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपील सं. 89/04 निर्णय व डिक्री दिनांक 27—10—05 से खारिज करने तथा अपील सं. 45/04 को आंशिक रूपसे स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19—3—04 को निरस्त कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की हस्तगत् दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7— परिणामतः हस्तगत दोनों अपीले सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष